

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website- <http://pwd.uk.gov.in>  
[cepwdua@rediffmail.com](mailto:cepwdua@rediffmail.com)

E-Mail-

पत्रांक : 52/02 अधिष्ठाता/13


दिनांक : 13/1/14

### कार्यालय ज्ञाप

वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु MORTH एवं MORD की विशिष्टियों का प्रयोग किया जा रहा है। इन विशिष्टियों में बिटुमिनस कार्यों में बिटुमिन के विभिन्न ग्रेड्स के प्राविधान तथा टैक कोट हेतु बिटुमिन अथवा ईमल्शन के प्राविधान के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में विभाग में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अतः इस संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं :


1. 1000 मीटर तक की ऊँचाई वाले क्षेत्रों में समस्त बिटुमिनस कार्यों (टैक कोट एवं प्राईम कोट को छोड़कर) हेतु VG-30 (60/70 ग्रेड) बिटुमिन का प्रयोग किया जाएगा तथा 1000 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में VG-10(80/100 ग्रेड) बिटुमिन का प्रयोग किया जाएगा।
2. Existing Bituminous Surfaces एवं Cement Concrete Pavements पर टैक कोट हेतु VG-10(80/100 ग्रेड) बिटुमिन, (SOR Roads and Bridges के मद संख्या 16-17) का प्रयोग किया जाएगा तथा Granular Surfaces Treated with Primer पर टैक कोट हेतु RS-1 ग्रेड के ईमल्शन (SOR Roads and Bridges के मद संख्या 5-2) का प्रयोग किया जाएगा।

अतः भविष्य में समस्त निर्माण कार्यों में उपरोक्तानुसार ही प्राविधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

  
प्रमुख अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग  
देहरादून

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमायूं क्षेत्र/ए0डी0बी0/नियोजन लो0नि0वि0, पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल) लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता टी0ए0सी0 वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I, II/अधिशासी अभियन्ता I, II, III, IV, V, VI कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून।
7. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), कार्यालय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

  
प्रमुख अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग  
देहरादून